न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—84 सन् 2020

रामचंद्र सिंह...वादी।

बनाम

सुजीत कुमार सिंह वगैरह ....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 20.06.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 16.04.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद में तकरारी एराजी सिडियुल नं0 01 ता 05 अर्जीनालिश जिसका विवरण इस आवेदन के अंत में दी जाती है। उसके वास्तविक स्वरूप न्यायहित में न्यायालय के समक्ष आना जरूरी है। अतः निवेदन है कि इस वाद की तकरारी भूमि की जांच कर उसके वास्तविक स्वरूप के संदर्भ में आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्ति कर प्रतिवेदन मांग की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 02.08.2021 को दाखिल कर कथन है कि जिस बयानात के साथ वादी ने सवाल दाखिल किया है वह हरगिज स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा दाखिल किया गया सवाल सही नहीं है। वादी ने सिडियुल नं0 15 अर्जीनालिश की अधिवक्ता आयुक्त से नजरी नक्सा सहीत वर्तमान स्थिति का प्रतिवेदन की मांग की है। वो विदित हो कि अर्जीदावी में सिडियुल नं0 14 नहीं है। तकरारी एराजी में प्रतिवादी सं0 04 की खरीदगी भूमि है उसमें लीची आदी का वृक्ष है। प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य तकरारी एराजी पर नहीं किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि वादी का सवाल को साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि तकरारी एराजी सिडियुल नं0 01 ता 05 अर्जीनालिश जिसका विवरण इस आवेदन के अंत में दी जाती है। उसके वास्तविक स्वरूप न्यायहित में न्यायालय के

समक्ष आना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप न्यायालय के समक्ष आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 16.04.2021 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त की रूप में श्री प्रदीप कुमार को नियुक्त किया जाता है।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।